

फ्रांस में फिर से लाल सलाम

इतिहाल गवाह है कि 14 जुलाई, 1789 की सुबह फ्रांस की राजधानी पेरिस में अराजकता का माहौल पैदा हो गया था। लोग महल के सामने ही बड़ी संख्या में जमा होने लगे थे। सप्ताह ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। करीब 7000 आदमी और औरतें महल के टाउनहॉल में जमा हुए। सभी ने मिलकर राजशाही के प्रतीक बैस्तील के किले की एक दीवार को गिरा दिया। 1774 में फ्रांस में बूर्बों राजवंश का लुई 16वां राजगद्दी पर बैठा। उस वक्त उसकी उम्र महज 20 साल थी। उसकी शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी अंत्वानेत से हुई थी। उस वक्त फ्रांस के महल का खर्च उठाने के लिए आम आदमी से भारी टैक्स बसूले जाते थे। पूरा महल ऐशो-आराम में ढूबा रहता और जनता भूखों मरने लगी थी। बैस्तील की दीवार गिरने के साथ ही फ्रांस की महान क्रांति की नींव पड़ी, जिसने दुनिया में लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता की राह दिखाई। आज 235 साल बाद इसी फ्रांस में हुए आम चुनाव में वामपंथी दलों के गठबंधन न्यू पॉपुलर फ्रंट यानी एनएफपी को सबसे ज्यादा सीटों पर जीत मिली है। फ्रांस के चुनाव से एक महीने पहले तक इस गठबंधन का कोई वजूद नहीं था। चुनाव के ऐलान के बाद सबको चौकाते हुए कई दलों ने साथ आकर न्यू पॉपुलर फ्रंट के एलायंस ने फ्रांस की संसद में सबसे ज्यादा सीटें जीत लीं। शुरुआत में दक्षिणपंथी नेशनल रैली को बड़ी जीत मिलती नजर आ रही थी। मगर दूसरे चरण में आते-आते वह हार गई। बता दें कि नेशनल रैली के कई सदस्य जर्मन तानाशाह हिटलर का समर्थन करते हैं। कुछ ने चुनाव प्रचार के दौरान मुस्लिमों और यहूदियों के खिलाफ नफरत भरे भाषण भी दिए। इसी को देखते हुए वामपंथी और मध्यम मार्गी पार्टियों ने दक्षिणपंथ को हराने के लिए खास स्ट्रेटेजी अपनाई। चुनाव रैलियों में वामपंथी नेताओं ने कहा कि नेशनल रैली लोगों में नफरत फैला

रही है, जो फ्रांसीसी क्रांति और संविधान के समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। नतीजतन प्रचार के दौरान ही मध्यम मार्गी गठबंधन के प्रमुख नेता और देश के प्रधानमंत्री गैब्रियल अटाल ने कहा, हमें नेशनल रैली को बहुमत तक पहुंचने से रोकने की जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो मैं ये कह सकता हूँ कि यह हमारे देश के लिए एक त्रासदी होगी। इसी तरह धूर-वामपंथी दल एलएफआई के एक प्रमुख नेता फ्रांसोइस रुफिन ने कहा, आज हमारा नेशनल रैली को पूर्ण बहुमत से रोकना ही मकसद है। वहाँ, सिविल सोसाइटी ने भी कहा कि नेशनल रैली प्रवासियों के खिलाफ नफरत फैलाती है। इसके नेता मुसलमानों और यहूदियों के खिलाफ नस्लीय भाषण देते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के बाद समाज में जबरदस्त उथल-पुथल हुआ था। उस युग के दार्शनिकों और राजनैतिक विचारकों को भी लगा कि समाज में व्यवस्था बनाने के लिए समन्वयपूर्ण संरचना जरूरी है। कितने आधुनिक समाज वैज्ञानिकों ने फ्रांसीसी क्रांति के बाद एक नए समाज विज्ञान का निर्माण किया, जिसका मकसद था समन्वयपूर्ण सामाज निर्माण। सिर्फ वैचारिक क्रांति नहीं बल्कि सामाजिक समरसता, सौहार्द और शांति की आवश्यकता को समझा गया था। 1789 में फ्रांसीसी नेशनल असेंबली के सदस्यों ने संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए बैठक की। वे इस बात पर बहस कर रहे थे कि राजा लुई 16वें के पास कितना अधिकार होगा। बहस तेज हो गई और राज-विरोधी क्रांतिकारी पीठासीन अधिकारी के बायीं ओर जुट गए, जबकि रुद्धिवादी कुलीन समर्थक दायीं ओर जमा हो गए। 1790 में अखबारों ने फ्रांसीसी नेशनल असेंबली के प्रगतिशील वामपंथ और परंपरावादी दक्षिणपंथ का जिक्र करना शुरू कर दिया। नेपोलियन बोनापार्ट के शासनकाल में ये भेद मिट गए। 1791 में फ्रांसीसी नेशनल असेंबली को फ्रांसीसी विधान सभा बनी। नवप्रवर्तक बायीं ओर वैठे, नरमपंथी केंद्र में और संविधान के कर्तव्यनिष्ठ रक्षक दायीं ओर बैठे और यह व्यवस्था 1792 तक जारी रही। 1848 में लोगों द्वारा अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा दिखाने के लिए 'लोकतांत्रिक समाजवादी' और 'प्रतिक्रियावादी' शब्दों का इस्तेमाल किया जाने लगा। यहाँ से पूरी दुनिया में वामपंथ और दक्षिणपंथ शब्द चलन में आया। वामपंथ और दक्षिणपंथ राजनीति के बीच मौलिक अंतर यह है कि जहाँ वामपंथ समानता, स्वतंत्रता, अधिकार, प्रगति और सुधार पर जोर देता है, वहाँ, दक्षिणपंथ कर्तव्य, पदानुक्रम, अधिकार, व्यवस्था, परंपरा और राष्ट्रवाद पर जोर देने का हिमायती है।

लॉजिक और मैजिक

अब शायद लोगों का तर्क के प्रति नजरिया ही बदला हुआ लगता है। आप चाहे जितनी दलीलें दे दो उनको नहीं मानना है तो नहीं ही मानेंगे। लॉजिक कहां मिस हो गया पता नहीं। आप अपना माथा फोड़कर भी गलत को गलत साबित नहीं कर सकते। सही को सही सिद्ध नहीं कर पाएंगे। लोगों की सोच और उससे जुड़े कुछ अंधविश्वास हैं कि वे ऐसे हो गए हैं। क्या कहते हो छोटू! आपकी इन बातों में लॉजिक या तर्क या दलील चाहे जो भी हो, मैं नहीं मानता भैया। तुम्हारी अपनी मान्यताएं और विश्वास जरूरी है कि सभी मानें? अगर ऐसा होने लगे तो ज्ञान का जो भंडार हमारे पास क्वाट्सीएप, इंस्टा और टिवटर के माध्यम से आता है, उसका क्या होगा? हम आपकी बातें सीधे सीधे क्यों मान लें? इसलिए कि मेरे दलील में दम है। मेरे तरक्क सही हैं और मेरा लॉजिक सही में लॉजिक है ऐसा तो हर आदमी सोचता है कि वह सही है और सामने वाला गलत है। राजनीति में देखें तो हम भगवान हैं सामने वाला तुच्छ और दुष्ट है। कोर्ट कचहरी में देखें तो बस सड़क पे साड़ों जैसे एक दूसरे पर वकील चिल्लते हैं दलील मनवाने के लिए। नजरिए में फर्क की बजह से कोई किसी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं।

सूरज पूरब से उगता है, दो और दो चार होते हैं, चांद रात को निकलता है। इन बातों के लिए तर्क या लॉजिक की क्या जरूरत है छोटू?

बात मत घुमाओ भैया। सार्वजनिक सत्य हैं ये सब। इनका तर्क या लॉजिक से क्या लेना देना, बोलिए। अब जो जीत सकता है यह जानते हुए उसके पास जाकर उसे प्रेरणा देना और हारने वाले को ढाढ़स बंधाने में फर्क है कि नहीं। बिलकुल नहीं है। जीतने वाले से काम निकलवाना और हारे के आंसू पोछना जग की रीत है। इसमें फर्क क्या है? चूंकि रावण गलत था, इसके लिए सारे लंकावासी गलत हैं, क्या यह सही है? राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या में थे इसका मतलब सारी जनता अयोध्या की सज्जन है क्या यह सही है? बिलकुल सही है। जैसे पहले चंबल का मतलब डाकू, लुटेरे, हत्यारे ही होता रहा। खैर अब बदल गया सब कुछ। अच्छा तो विभीषण, त्रिजटा जैसे अच्छे लोग भी तो थे लंका में। अयोध्या में मंथरा और कैकेई जैसे नकारात्मक चरित्र वाले भी रहे कि नहीं। हर जगह चावल का एक दाना पकड़कर निर्णय देना कि सारा चावल पक गया या नहीं यह नियम काम नहीं करता समझे छोटू? तो भैया जो इतनी देर से मुझे बिठाके पका रहे हो, मैं जान सकता हूं कि किसलिए?



अशोक भाटिया

आगामी बजट – फिर जागी सीनियर सिटीजन की उम्मीदें

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के बजट से सीनियर सिटीजंस को काफी उम्मीद है। वित्तमंत्री 23 जुलाई को लोकसभा में यूनियन बजट पेश करेगी। इस साल 1 फरवरी को पेश बजट में वित्तमंत्री स के लिए कोई बड़ा था। इसलिए सीनियर वाले बजट से ज्यादा नहें पता चल सके कि अब ज्यादा पैसे आएंगे या अपनी कानून के अनुसार, को दो समूहों में बांटा जाएगा। सिटिजन्स और सुपर इनमें से प्रत्येक समूह अपनी कानून भी अलग-सिटिजन्स यानी 60 से 15 लोगों के लिए 3 लाख करके टैक्स माफ़ है। सुपर यानी 80 साल से ज्यादा लिए 5 लाख रुपये की माफ़ है। रिटायर्ड लोग अंतर खत्म हो जाएं के पास, पेशन और ड्रकर इनकम का कोई नहीं। उनका मानना है कि वे रुपये की ह्रौ सीमा पाएं, ताकि सभी सीनियर का बोझ कम हो सके। के अनुसार, सीनियर अलग-अलग रेट के हिसाब से है। सीनियर सिटीजंस को उम्मीद है कि नियर सीतारमण हेल्थ इंश्योरेंस डिडक्षन बढ़ा सकती हैं और इससे ज्यादा उम्र के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम 50,000 रुपये डिडक्षन बुजुर्गों का कहना है कि वे में खासकर कोविड की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का बढ़ गया है। इसलिए सरकार रुपये के डिडक्षन को बढ़ाए लाख रुपये कर देना चाहिए। टैक्स का बोझ घटाया सिटिजन्स पर महंगाई वृद्धि पड़ता है। उनके इनकम और अक्सर निश्चित होने महंगाई के कारण सीधे खरीदने की ताकत कम हो जाती है। उनके पास महंगाई से लड़ने के लिए इनकम को बढ़ाने का कोई विकास नहीं। इसलिए, सरकार से अधिक, महंगाई को सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बारे में सोचना सकती है। वर्ष सिटिजन्स सेविंग्स स्कीम की रुपये तक इन्वेस्ट किया जाएगा, पर 8.2 % प्रति वर्ष की रिटर्न मिलता है। सरकार बढ़ाने, ज्यादा रेट ऑफ़ रिटर्न कम लॉक-इन फिक्स वाले सोचना चाहिए। इससे सरकार की खरीदने की ताकत बढ़ाने के बहिर्भूत लिक्विडिटी मिलती है। सीनियर सिटीजन की मांग ब्याज से 2 प्रतिशत

होती है। मोदी सरकार ने चुनाव के पहले वायदा किया था कि 70 वर्ष से ऊपर के हर वर्ग के सीनियर सिटीजन को आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा। इस वायदे को इस बजट में मोहर लगाई जाय व उम्र सीमा घटा कर 70 से 60 वर्ष की जाय।

कोविड से पहले तक सीनियर सिटीजन को ट्रेन टिकट पर 40 से 50 फीसदी तक की छूट दी जाती थी लेकिन ये छूट कोविड के समय खत्म कर दी गई। कोविड का डर खत्म होने के बाद भी सरकार ने इस छूट को फिर से शुरू नहीं किया है। अब सीनियर सिटीजन बजट में ट्रेन टिकट पर 50 फीसदी तक की छूट दिये जाने की डिमांड कर रहे हैं। वह उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार उन्हें ये छूट फिर से देना शुरू करेंगे। गैरतलब है कि आईआरसीटीसी सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेनों की सभी केटेगरी में रियायती किराए ऑफर करता था। आईआरसीटीसी साल 2019 के अंत तक 60 साल से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन और 58 साल या उससे अधिक उम्र की महिला बुजुर्ग यात्रियों को दुरंतो, शताब्दी, जन शताब्दी, राजधानी, मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के ट्रेन टिकटों पर किराए में छूट देता था। जहां पुरुष वरिष्ठ नागरिक 40 प्रतिशत की रियायत के पात्र थे, वहीं महिला वरिष्ठ नागरिक ट्रेन टिकट पर 50 प्रतिशत की छूट का लाभ उठा सकती थी। साल 2019 के अंत तक सीनियर सिटीजन को ट्रेनों की टिकट कीमत पर 40 से 50 फीसदी तक की छूट मिली थी। अगर राजधानी का फर्स्ट एसी का टिकट 4,000 रुपये है तो सीनियर सिटीजन को 2,000 या 2,300 रुपये में मिलता था। फिर साल 2019 के अंत और साल 2020 की शुरुआत में कोविड देश और पूरी दुनिया में फैल गया जिसके बाद IRCTC की टिकट बुकिंग विंडो पर ये सर्विस मिलनी बंद हो गई। अब सीनियर सिटीजन उम्मीद कर रहे हैं कि बजट में उन्हें ये खास छूट फिर से मिलेगी सीनियर सिटीजन्स का कहना है कि कई ऐसे बुजुर्ग हैं जिनका अपना घर नहीं है। वे किराया के घरों में रहते हैं। उन्हें हर महीने मकान मालिक को किराया चुकाना पड़ता है। रेगुलर इनकम नहीं होने से उन्हें दिक्कत आती है। सरकार को ऐसे सीनियर सिटीजन्स को घर के किराए पर टैक्स डिडक्शन देना चाहिए जिनकी रेगुलर इनकम नहीं है। इससे बुजुर्गों पर टैक्स का बोझ कम होगा। उन्हें उम्मीद है कि वित्तमंत्री इस बार बजट में उनकी यह मांग पूरी करेंगी।

वर्तमान में, मूल कर छूट सीमा वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक आयु) के लिए 3 लाख रुपये और बहुत वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष से अधिक आयु) के लिए 5 लाख रुपये है। यह वह सीमा है जिस तक वरिष्ठ नागरिक की आय पर कर नहीं लगता है। अब, मांग यह है कि बजट में नई कर व्यवस्था में वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक) के लिए मूल कर छूट सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जाना चाहिए जो कि बहुत वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष से अधिक) के समान है।

वरिष्ठ नागरिक आगामी 2024 बजट में संभावित बोनस योजनाओं और कर प्रोत्साहनों को लेकर आशान्वित हैं।

मतांतरण पर व्यापक बहस की जरूरत



असवधानक है। बात 2 जुलाइ का इलाहाबाद हाई कार्ट ने मतांतरण को लेकर गंभीर टिप्पणी की है। कोर्ट ने दिए धार्मिक सभाओं में मतांतरण की प्रवृत्ति जारी रखी तो उत की बहुसंख्यक आबादी ही अल्पसंख्यक हो जायेगी। इहित रंजन अग्रवाल ने हिंदुओं को ईसाई बनाने के आरोपी पुर के कैलाश की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि लोगों को धर्म के प्रचार प्रसार की नई धर्म बदलने की अनुमति नहीं है। ऐसे आयोजन अनुच्छेद 25 द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अन्तर्पेक्ष देश है, जहां सभी धर्मों को समान अधिकार और नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत प्रत्येक व्यक्ति अपने का पालन, प्रचार और प्रसार करने का अधिकार है। अधिकार पर्याप्त नहीं है और इसके कुछ प्रतिबंध हैं। यह अनुच्छेद के इसी अनुच्छेद की व्याख्या के संदर्भ में आया है। ईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी व्यक्ति का अधिकार स्वेच्छा और स्वतंत्र इच्छा से होना चाहिए। जबरन, बालच देकर किया गया धर्मांतरण अवैध है। कोर्ट ने किया कि मतांतरण एक गंभीर और व्यक्तिगत मामला किसी भी प्रकार की सामाजिक, आर्थिक या अन्य प्रकार से प्रभावित नहीं होना चाहिए। इस निर्णय का समाज पर से प्रभाव पड़ेगा। इससे यह स्पष्ट संदेश गया है कि अधिकार सिर्फ तभी है जब वह स्वेच्छा से और बिना के किया जाए। यह निर्णय विशेष रूप से उन मामलों में जहां गरीब और कमज़ोर वर्गों के लोगों का जबरन या मतांतरण किया जाता है। कोर्ट ने बेहद तत्त्व टिप्पणी में कारण बहुसंख्यकों के अल्पसंख्यक होने की चिंता जाहिर

कोण से, यह निर्णय एक महत्वपूर्ण मिसाल स्थापित करता करता है कि मतांतरण के अधिकार का दुरुपयोग नहीं और इसे केवल उन परिस्थितियों में ही मान्यता दी जाएगी न: स्वेच्छा से किया गया हो। इससे भविष्य में मतांतरण एक महत्वपूर्ण संदर्भ मिलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का गारतीय समाज और कानून में एक महत्वपूर्ण भील का ह न केवल मतांतरण के मामलों में एक स्पष्ट दिशा- करता है, बल्कि समाज में धार्मिक स्वतंत्रता और धिकारों की रक्षा भी सुनिश्चित करता है। इस फैसले से की जा सकती है कि भविष्य में मतांतरण के मामलों में रद्दशीता बनी रहेगी, और सभी धर्मों के लोग अपने धार्मिक पालन स्वतंत्रता से कर सकेंगे।

गांतरण की घटनाएं लंबे समय से विवाद का विषय रही हैं, का सदा धार्मिक सामाजिक और राजनीतिक दण्डिकोण

है। इतिहास में विभिन्न धार्मिक समूहों द्वारा मतांतरण की देखी गई है 1 1981 में मीनाक्षीपुरम धर्मांतरण एक धर्मिक रूपांतरण था जो तमिलनाडु के मीनाक्षीपुरम गाँव में समें 200 से 300 परिवारों के सैकड़ों दलित जाति के लाला धर्म अपना लिया था। इस घटना ने भारत में धर्म की बहस छेड़ दी थी। स्वाधीनता के बाद यह भारत में मतांतरण की घटना थी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया गया। स्वाधीनता के बाद 1956 में मध्य प्रदेश सरकार ने मतांतरण की घटनाओं की जांच के लिए एक समिति का जिसे 'नियोगी समिति' के नाम से जाना जाता है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट धार्मिक संगठनों और मिशनरियों द्वारा मतांतरण की विस्तृत विश्लेषण किया। नियोगी समिति की रिपोर्ट में मतांतरण के मुख्य कारण गरीबी, शिक्षा की कमी और धर्माओं की कमी थे। मिशनरियों द्वारा इन सुविधाओं का मत परिवर्तन कराया जाता था।

भी उल्लेख किया गया कि कई धार्मिक संगठनों ने अपने के लिए अर्थिक और सामाजिक मदद का सहारा लिया। ऐसे इसाई मिशनरियों द्वारा स्कूल, अस्पताल और अन्य वाओं का उपयोग करके मतांतरण की गतिविधियों को बढ़ाया। समिति ने सुझाव दिया कि मतांतरण की गतिविधियों करने के लिए कानून बनाए जाएं। इसमें यह सुनिश्चित उपाय शामिल थे कि किसी भी व्यक्ति का मत परिवर्तन गया से हो, न कि किसी दबाव या लालच के कारण।



मनोज कुमार अग्रवाल

रूस भारत के संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ करेगा मोदी का दैरा

रूस भारत के संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ करेगा मोदी का दौरा मनोज कुमार अग्रवाल रूस में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस प्रकार से पलक पावड़े विछा कर भव्य स्वागत किया देशों के बीच ऐतिहासिक र करता है। अपने तीसरे ली द्विपक्षीय यात्रा पर रूस में यह यात्रा न सिर्फ द्विपक्षी यात्रा, बल्कि वैश्विक दृष्टि से भी ना जा रहा है। यहाँ कारण है कि अमेरिका तक की निगाहें मोदी और रूसी राष्ट्रपति वैठक पर टिकी हुई हैं। दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो एक तरफ नाटो देशों का तो दूसरी के तरफ घेरेतू मोर्चे आंदोलन और विपक्ष चौन की बढ़ती कर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। अर्थ अटलांटिक ट्रीटी में नाठों का सम्मेलन रूस को क्योंकि इन रूस और यूक्रेन युद्ध कर रहे हैं। वर्तमान में

तेयां का सामना करना पड़ और चीन के अंबीच की जो भारत का मुख्य प्रतिबंदी रखते की जटिलता तथा और एम मोदी ने संभाई सहयोग) के शिखर सम्मेलन में य अपने कि विदेश मंत्री को ताना में हुई बैठक में रूसी राष्ट्रपीठ पुतिन और जिनपिंग भी शामिल थे। इन चुनौतियों चुनौतियों के बत्रा के कई मायने हैं। सबसे संकेत देता है कि भारत और गर्मजोशी बरकरार है, भले भी उत्तर-चढ़ाव हो। दूसरा, न प्रयासों को दर्शाता है जो तिं में संतुलन बनाए रखने खासकर चीन और अमेरिका ताथ। इन सबके बीच यह पूर्ण है क्योंकि यह 22 वें शिखर सम्मेलन की देशों के बीच रणनीतिक बातों वातानीत का सबसे बड़ा द्वारान मोदी और पुतिन द्वारा जो जुड़े तमाम पहलुओं की हितों से जड़े मध्ये प्रभु बात

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में मतांतरण के मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जिसने समाज में व्यापक चर्चा और बहस को जन्म दिया है। इस निर्णय के तहत, कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी प्रकार का जबरन या धोखाधड़ी से मतांतरण अवैध और असंवैधानिक है। बीते 2 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मतांतरण को लेकर गंभीर टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि यदि धार्मिक सभाओं में मतांतरण की प्रवृत्ति जारी रही तो एक दिन भारत की बहुसंख्यक आबादी ही अल्पसंख्यक हो जायेगी। न्यायाधीश रोहित रंजन अग्रवाल ने हिंदुओं को ईसाई बनाने के आरोपी मौदहा हमीरपुर के कैलाश की जमानत अर्जों को खारिज करते हुए आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि लोगों को धर्म के प्रचार प्रसार की छूट है तो किन धर्म बदलने की अनुमति नहीं है। ऐसे आयोजन संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के विरुद्ध हैं।

भारत एक पंथनिरपेक्ष देश है, जहां सभी धर्मों को समान अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन, प्रचार और प्रसार करने का अधिकार है। हालांकि, यह अधिकार पर्याप्त नहीं है और इसके कुछ प्रतिवंध हैं। यह निर्णय संविधान के इसी अनुच्छेद की व्याख्या के संदर्भ में आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी व्यक्ति का मतांतरण उसकी स्वेच्छा और स्वतंत्र इच्छा से होना चाहिए। जबरन, धोखाधड़ी या लालच देकर किया गया धर्मांतरण अवैध है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मतांतरण एक गंभीर और व्यक्तिगत मामला है, और इसे किसी भी प्रकार की सामाजिक, आर्थिक या अन्य प्रकार



100

अजब गँव की गजब कहानी

नई फ़िल्में देखने जाता, खासकर वे जिनमें मार-धाड़ के दृश्य होते। जब अभिनेता विलेन को पीटा, तो वीरु के चेहरे पर मुस्कान फैल जाती। और मारो, और मारो! वह चिल्लाता। वीरु को ऐसा लगता मानो वह खुद लड़ाई के मैदान में खड़ा हो। गाँव के लोग राम-रावण युद्ध और महाभारत की कहानियों को बड़े चाव से सुनते। भाई-भाई का झङ्गड़ा हा या दंगा-फ़साद, सबमें पिटाई ही असली उपाय है, गाँव के पर्फिट जी अक्सर कहा करते। गीता में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को भी युद्ध के महत्व के बारे में बताया है। फिर गाँव में एक दिन कपर्यू लगा। उपद्रवियों को ठीक करने का यही तरीका है, पुलिस वाले कहते। भय बिनु होइ न प्रीति, तुलसीदास जी भी यही कहते थे। आधुनिक युग में पिटाई शास्त्र की शुरूआत स्कूलों से होती है। मास्टरजी छड़ी लेकर आते और बच्चों को प्रश्न पूछने से रोकते। पढ़ाई के सवाल पूछेंगे तो पिटाई होगी, वह धमकाते। गाँव में एक और प्रसिद्ध कवि गोपाल सिंह। उन्होंने भी पिटाई को समझा। ओ राही दिल्ली जाएँ अपनी सरकार से चरखा चलता। शासन चलता तलवार से, उन्होंने कहा। एक दिन वीरु शहर के चौहानेमेंट के पकड़ा गया। बिना हेलिकॉप्टर का चलाओगे तो पिटाई होगी, पुलिस वाले वीरु को पिटाई हुई और उसने हेलिकॉप्टर का महत्व समझ लिया। एक दिन दंगा हुआ। पिटाई की आवाजें दरही थीं। वीरु, मास्टरजी, और सब इस दंगे में घायल हो गए। शांति लौट आई, लेकिन वह श्रेष्ठ से आती है, बल्कि वह जो पिटाई से आई थी। गाँव के लोग जो थे कि पिटाई शास्त्र का महत्व उसकी कीमत बहुत भारी होती

